संख्या–2005/दस–2–2005–12(8)/2004

प्रेषक,

किशन नाथ
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तरांचल, नैनीताल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 28 फरवरी, 2005

विषयः– आयोजनागत पक्ष की "टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत साख सीमा की आवश्यक मदों में वर्ष 2004–05 के शेष आठ माह की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नि. 763./35–1–बी दिनांक 05.02.2005 एवं वित्त अनुभाग–1 की पत्र संख्या–554/वि.अनु.–1/2004 दिनांक 30.07.2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं के लिए रू0 3,35,62,000/– संलग्नक वी0एम–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए तथा रू0 3,83,33,000/– संगत मद से अर्थात कुल रू0 7,18,95,000/– (रू0 सात करोड़ अट्ठारह लाख पिचानवे हजार मात्र) की धनराशि जिसका मदवार विवरण संलग्नक तालिका के कॉलम–5 में है, के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
2. योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहां आवश्कता हो सक्षम अधिकारी /शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
3. स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय टी0एच0डी0सी0 से किया जाय.
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
5. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
6. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जाय.
8. निर्माण कार्यो के लो0नि0वि0 की दरों पर आगणन गठित कर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा.
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और अवशेष धनराशि को उक्त तिथि तक समर्पित कर दिया जायेगा.
10. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका के कॉलम–5 में उल्लिखित धनराशि के लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नाम में डाला जायेगा.
12. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1525/वि.अनु.–2/2004 दिनांक 18.02.2005 में दी गयी सहमति से जारी किया जा रहा है.

संलग्नकः उपरोक्तानुसार.

भवदीय

(किशन नाथ)
अपर सचिव

..2

Sanction

संख्या-2003/दस-2-2005-12(8)/2004 दिनांक 28 फरवरी, 2005 का संलग्नक

वन एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "टी0एच0डी0सी0 वित्त पोषित योजना" की आवश्यक मदों में वर्ष 2004-05 के शेष 8 माह की वित्तीय स्वीकृति.

(धनराशि हजार रू0 में)

क0सं0	योजना का नाम/लेखा शीर्षक मानक मद	मद प्रकार	पूर्व स्वीकृति	वर्तमान स्वीकृति	योग
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्व लेखा-- अनुदान संख्या-27				
	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन				
	01-वानिकी				
	800-अन्य व्यय				
	11- टी0एच0डी0सी0 सहायतित योजना				
	11-01-टी0एच0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित योजना				
	24-वृहत निर्माण (रू0 32362 हजार बचतों से)	साख सीमा	10000	67862	77862
	25- लघु निर्माण (रू0 1000 हजार बचतों से)		500	3000	3500
	26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र (रू0 200 हजार बचतों से)		167	1033	1200
	29- अनुरक्षण		20767	0	20767
	योग		31434	71895	103329
	02- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान				
	02-10-टी0एच0डी0सी0 वित्त पोषित योजना				
	24-वृहत निर्माण	साख सीमा	2333	0	2333
	29- अनुरक्षण		3333	0	3333
			5666	0	5666
	योजना का कुल योग		37100	71895	108995

(वर्तमान आवंटन रू0 सात करोड़ अट्ठारह लाख पिचानवे हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव

आय व्ययक प्रपत्र: 15

पुनर्विनियोग 2004-05 विवरण पत्र

अनुदान संख्या 27 आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी- मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तरांचल प्रशासनिक विभाग वन एवं पर्यावरण (धनराशि हजार रू. में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार आयोजनिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 4 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800 अन्य व्यय 11 टी.एस.डी.सी. सहायतित योजना 11 01 टी.एस.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना				2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 11 टी.एस.डी.सी. सहायतित योजना 11 01 टी.एस.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना			(क) आवश्यकता न होने के कारण बचत (ख) कैम्प प्लान से फील्ड के भौतिक लक्ष्यों के अनुसार धनराशि की आवश्यकता है।
29 अनुरक्षण	62300	8195	20543	33562 (क)	24 वृहद निर्माण 32362	77862	28738	
				25 लघु निर्माण 1000 (ख)	3500	0	
				26 मशीन साज सज्जा और संयंत्र 200	1200	0	
योग	62300	8195	20543	33562	33562	82562	28738	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राकेश शाह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग 2

संख्या 1525/ वि.अनु.-2/2004 दिनांक 18 फरवरी, 2005.

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

18/2/2005
(एल. एम. पंत)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग 2

संख्या 200 (2)/दस-2-2004-12(8)/2004 दिनांक 28 फरवरी 2005.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, देहरादून ।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल ।
3. मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तरांचल नैनीताल ।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

(राकेश शाह)
अपर सचिव,वन एवं पर्यावरण

FileSanc0405\ShasanRenpPL2004.wk4